न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

लक्ष्मणराम बनाम भगवानसहाय

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म	
05.01.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण मे समयं अभाव के कारण निर्णय नही लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पत्रावली दिनांक 16.01.2024 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
16.01.2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण से सम्बन्धित मूल वादपत्र में वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर उनवानी प्रकरण लक्ष्मणराम वगै0 बनाम भगवानसहाय वगै0 मूल वाद पत्र संख्या 148/2023 व मुकदमा संख्या 117/2023 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2024.02.09 10:04:03 IST Reason: SelfAttested 16/01 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण सं.:–148/2023 दावा जीसीएमएस नं0 1179/23 निर्णय दिनांक 16.01.2024

प्रकरण सं.:–117/2023 टी.आई. जीसीएमएस नं0 1180/23 निर्णय दिनांक 16.01.2024

उनवान प्रकरण

लक्ष्मणराम पुत्र मोतीराम वगै0 समस्त जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर–7 ढाणी बांकली श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

वादी/अप्रार्थी

बनाम्

1. भगवानसहाय पत्रु ईश्वरसिंह जाति जाट निवासी ढाणी काजीवाली श्रीमाधोपर तहसील श्रीमधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

––प्रतिवादी/प्रार्थी

उपस्थितः–

श्री फूलचन्द सामोता, एड0 वादी/अप्रार्थी अभिभाषक।

श्री सरदार सिंह एड0 प्रथम प्रार्थीगण /प्रतिवादी आवेदनकर्त्ता प्रा.पत्र पेशकर्त्ता आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:03 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवाद इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 01 भगवानसहाय पत्रु ईश्वरसिंह जाति जाट निवासी ढाणी काजीवाली श्रीमाधोपर तहसील श्रीमधोपुर जिला नीमकाथाना राज0 के द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री सरदार सिंह

16/1/24
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

एड0 प्रथम ने दिनांक 13/12/2023 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत कर दौराने बहस अवगत कराया है कि वादीगण की ओर से भूमि खसरा नम्बर 2051 रकबा 0.0500 हैक्टर किस्म गै0 मु0 रास्ता राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के बाबत न्यायालय हाजा में दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर अनुतोष चाहा गया हैं जो वादपत्र में वर्णित अनुसार गै0 मु0 रास्ता की भूमि बाबत हैं। वादीगण द्वारा वादपत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2051 रकबा 0.0500 किस्म गै0 मु0 रास्ता जिस पर नगरपालिका श्रीमाधोपुर द्वारा सड़क का निर्माण किया हुआ हैं तथा जिसके किनारो के सहारे मौके पर नल व विद्युत विभाग की लाईन पूर्व से पडी हुयी हैं जो कि कृषि भूमि नही है। माननीय न्यायालय हाजा को कृषि भूमियों के बाबत ही स्थायी निषेधाज्ञा व अन्य अनुतोष का वाद विचारण की क्षेत्राधिकारिता है ना कि गै0 मु0 रास्ता की भूमियों के बाबत अनुतोष अनुदत्त करने की क्षेत्राधिकारिता है। इसलिये वादीगण की ओर से प्रस्तुत विचाराधीन वादपत्र मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में वर्णित वादपत्र भूमि वादपत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित अनुसार गै0 मु0 रास्ता की भूमिया हैं। जिसके वाद विचारण की क्षेत्राधिकारिता व श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नही हैं। इसलिये वादीगण का वादपत्र नामंजूर किये जाने योग्य है। वादीगण को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2051 रकबा 0.0500 हैक्टर किस्म गै0 मु0 रास्ता जो राजस्व रिकार्ड व वादपत्र की मद नम्बर 2 में वादीगण स्वयं गै0 मु0 रास्ता की भूमि अपने वादपत्र में अंकित किया है। नगरपालिका की नल व विद्युत लाईन लगी हुयी हैं। नगरपालिका क्षेत्र में पानी व बिजली जैसे आवश्यक सुविधाओं की आपूर्ति गै0 मु0 रास्ता सडक की भूमियों बाबत कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ हैं। इसलिए वादकारण के अभाव में वादीगण का वादपत्र नामंजूर किये जाने योग्य हैं। वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा को मुगालता देकर गै0 मु0 रास्ता भूमि खसरा नम्बर 2051 जिस पर मौके पर नगरपालिका की सडक विद्यमान हैं के बाबत मलिन आशय से प्रतिवादी नम्बर 1 को तंग व परेशन करने की गरज से बेबुनियादी आधार पर बिना क्लीन हैण्डस मलिन आशय से वादपत्र मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जो प्रथम दृष्टवा ही नामंजूर किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी / प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:34:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

16/01/24
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी/वादी का वादपत्र मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा नामंजूर फरमाया जावें।

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थी/वादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया कि दावा कृषि भूमि खसरा नम्बर 2018, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034/2, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2051 कुल किता–13 कुल रकबा 5.6465 हैक्टर तन ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना में अवस्थित होकर इसके खातेदार काश्तकार वादीगण व उसके परिजन है। जिसके बाबत एवं निजी खातेदारी का गै0 मु0 रास्ता खसरा नम्बर 2051 रकबा 0.0500 हैक्टर की बाबत प्रस्तुत किया गया हैं एवं अनुतोष भी वादीगण व उसके परिजनो को निजी खातेदारी भूमि मे से होकर किसी प्रकार की कोई 11 के0 वी0 उच्च क्षमता की विद्युत लाईन नही खींचने एवं ना ही अपने कारकुनिन्दों से खींचवाने, ना ही ऐसा कोई कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं कारित करें, ना ही अपने कारकुनिन्दों से करवाये जिससे वादीगण व उसके परिजनों के हितो पर कुठारघात हो बल्कि मौके की यथास्थिति बनाये रखे बाबत चाहा गया है। वादीगण ने वादपत्र वास्तविक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। जिसका श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही हांसिल है। इसलिए प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होकर खारिज होने योग्य है तथा यहां यह भी महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनीय है कि दावा हाजा में अभी तक जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया है एवं अभी तक तनकीयात–विवाधक बिन्दू कायम नही हुये है। इसलिए दावा हाजा में विधिवत रूप से जवाब दावा प्रस्तुत होने के उपरान्त विधिवित तनकीयात विवाधक बिन्दु कायम होकर दावा हाजा में विधिवत साक्ष्य आने के उपरान्त दावा व प्रार्थना पत्र हाजा में विधिवत निर्णय–डिक्री गुणावगुण के आधार पर पारित होनी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जाकर खारिज किये जाने का निवेदन वकील वादी ने अपनी बहस में किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

16/01/24
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

हमने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् ध्यानपूर्वक सुनी। बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में मुख्य रूप से वादपत्र में अंकित भूमि खसरा नम्बर 2051 रकबा 0.0500 हैक्टर की किस्म गै0 मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में होना अंकित किया है। जो पत्रावली व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि उक्त विवादग्रस्त भूमियों की किस्म गै0 मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड है। जिस खसरा नम्बर पर नगरपालिका श्रीमाधोपुर द्वारा सडक निर्माण किया हुआ होना तथा जिसके किनारो पर नल व विद्युत विभाग की लाईन होना प्रकट होता हैं। उक्त भूमि के किनारों का उपयोग वर्तमान में नगरपालिका श्रीमाधोपुर के द्वारा पानी व विद्युत जैसी आवश्यक सुविधाओं हेतू उपयोग में लिया जाना स्पष्ट रूप से प्रकट होता हैं।

सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में स्पष्ट वर्णित है किः– वादपत्र का नांमजूर किया जाना– वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा–

क. जहॉ वह वाद हैतुक प्रकट नहीं करता है।

ख. जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूंल्याकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

ग. जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र पर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

घ. जहॉ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

16/01/24
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

द्वारा वर्जित है।

ड. जहाँ वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है।

च. जहाँ वादी 9 नियम की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। जिसमें वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित अनुतोष के अनुसार वादग्रस्त आराजी भूमियों में स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा जाना प्रकट होता है। जबकि न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र में अंकित वादग्रस्त आराजी भूमियों में से अंकित भूमि खसरा नम्बर 2051 रकबा 0.0500 की किस्म गै0 मु0 रास्ता बाबत ही केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा जाना प्रकट होता है तथा उक्त खसरा नम्बर पर नगरपालिका श्रीमाधोपुर द्वारा सडक का निर्माण किया जाना व इसके किनारो के सहारे–सहारे नल व विद्युत लाईन का होना स्पष्ट होता हैं। जहाँ तक गै0 मु0 रास्ता की भूमियों की सुनवाई का प्रश्न है। इसके सम्बन्ध में वाद विचारण की क्षेत्राधिकारिता व श्रवणाधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को श्रवणाधिकारिता प्राप्त होना स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि गै0 मु0 रास्ता की भूमि जिस पर वर्तमान में सड़क बनी हुई है। ऐसी भूमियों बाबत वादी/अप्रार्थी को प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध किस प्रकार वाद कारण उत्पन्न हुआ है, यह प्रकट नहीं होता है।

अतः ऐसी स्थिति में वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा अपने वादपत्र में अंकित वादग्रस्त आराजी भूमियों में से अंकित भूमि खसरा नम्बर 2051 रकबा 0.0500 की किस्म गै0 मु0 रास्ता बाबत ही केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा जाना प्रकट होता है। जो राजस्व अ[illegible] व ज[illegible]न्दी में उक्त खसरा नम्बर की किस्म गै0 मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड [illegible] प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का वादकारण प्रकट होना स्पष्ट नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:03 IST
Reason: SelfAttested

16/01/24

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
सत्यमेव जयते

में वकील प्रतिवादी / प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

::–क्रियात्मक आदेश–::

अतः वकील प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है तथा उनवानी प्रकरण लक्ष्मणराम वगैः बनाम भगवानसहाय वगैः मूल वाद पत्र संख्या 148/2023 व मुकदमा संख्या 117/2023 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति मूल पत्रावली में शामिल की जावें।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:03 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)